

15/9/17

वकील शर्मा एवं शर्मा (अनुपस्थित) वकील
शर्मा उपस्थित। वकील शर्मा ने विवेक किया कि
शर्मा एवं शर्मा वकील की अनुपस्थिति में प्रकरण (बालि)
किया जावे। शर्मा एवं शर्मा वकील के उपलब्ध होने
तक बंधन रहने का विचार किया जाई परन्तु उनकी
अपेक्षा से कोर्ट अदालत उपस्थित नही आया अतः
प्रकरण अदालत के अदम एंजिरी में खालि किया
जाता है। मिसल केसल शुमार दोहरा नम्बर से कम
है दफ्तर कारिल है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

